उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-330/ग्यारह-2-25-9(42)/17-टी0सी0-72-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(348)-2025

लखनऊः दिनांकः 17-04-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छाछठवाँ संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छाछठवां संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह दिनांक 23 जनवरी, 2025 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।
नये नियम 16क का बढ़ाया जाना	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2025 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्- **"अस्थायी पहचान संख्या का प्रदान किया जाना** — 16 क. जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है लेकिन अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई संदाय करना अपेक्षित है, उचित अधिकारी उक्त व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान कर सकता है और प्ररूप जीएसटी आर॰ई॰जी॰-12 के भाग ख में एक आदेश जारी कर सकता है।"
नियम 19 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, नियम 19, उपनियम (1) में शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटी आर॰ई॰जी॰-10" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संयुक्त करदाता द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना में" बढ़ा दिये जायेंगे।
नियम 87 का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, नियम 87, उपनियम (4) में शब्द "सामान्य पोर्टल" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "नियम 16क के अनुसार" बढ़ा दिये जायेंगे।
प्ररूप आर॰ई॰जी॰-12 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, प्ररूप आर॰ई॰जी॰-12 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जायेगा, अर्थात्-

"प्रारूप जी०एस०टी०आर० ई०जी०-12

[नियम 16(1), 16 क देखें]

सन्दर्भ संख्या- तारीख:

सेवा में,

(नाम):

(पता):

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संख्या /अस्थायी पहचान संख्या

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण /स्वतः प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी पहचान संख्या प्रदान करने का

आदेश

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हैं और इसलिए, आपका एतदद्वारा अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। कारबार परिसर से यथा अभिनिश्चित कारबार की विशिष्टियां निम्नलिखित हैं:

भाग क

उस व्यक्ति का विवरण, जिसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया			
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो		
2.	लिंग		पुरूष/ महिला/अन्य
3.	पिता का नाम		
4.	जन्म तारीख		तारीख/माह/वर्ष
5.	व्यक्ति का पता	भवन सं0/ फ्लैट सं0	
		तल सं0	
		परिसर/भवन का नाम	
		सड़क/ गली	
		कसबा/नगर/इलाका/गांव	
		ब्लॉक/ तालुका	
		जिला	
		राज्य	
		पिनकोड	
6.	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो		
7.	मोबाइल नंबर		
8.	ई-मेल का पता		
9.	अन्य पहचान पत्र,यदि कोई हो (वोटर आई०डी० नंबर/पासपोर्ट नंबर/ड्राइविंग लाइसेंस		

	नंबर/आधार नंबर/अन्य)	
10.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के कारण	
11.	रजिस्ट्रीकरण/ अस्थायी आई०डी० की प्रभावी तारीख	
12.	रजिस्ट्रीकरण संख्या/ अस्थायी आई०डी०	

13. बैंक खातों का विवरण [वैकल्पिक]

आवेदक द्वारा अनुरक्षित बैंक खातों की कुल संख्या (अधिकतम 10 बैंक खातों की सूचना दी जानी है।)	

बैंक खाते 1 का विवरण

खाता संख्या	
खाते का प्रकार	
बैंक का नाम	
आई०एफ० एस०सी०	
शाखा का पता	स्वचालित रूप से भरा जाना(संपादन रीति)

टिप्पणी –और बैंक खाते जोड़ें.

(अधिग्रहण ज्ञापन/ निरोध ज्ञापन/कोई अन्य समर्थकारी दस्तावेज अपलोड करना)
<<आपको इस आदेश के जारी होने के नब्बे दिनों के भीतर उचित रजिस् ट्रीकरण के लिए आवेदन जमा करने का निदेश दिया जाता है। >>

हस्ताक्षर

स्थान <<अधिकारी का नाम>>

तारीख: <<पदनाम/अधिकारिता क्षेत्र>>

टिप्पणी-आदेश की एक प्रति संबंधित केन्द्रीय/राज्य अधिकारिता क्षेत्र प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

भाग ख

चूंकि अधोहस्ताक्षरी के पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, और इसलिए, आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान की जाती है:

उस व्यक्ति का विवरण, जिसे अस्थायी पहचान संख्या प्रदान की गयी		
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो	
2.	लिंग	पुरूष/ महिला/अन्य
3.	पिता का नाम	

4.	जन्म तारीख		तारीख/माह/वर्ष
5.	व्यक्ति का पता	भवन सं0/ फ्लैट सं0	
		तल सं0	
		परिसर/भवन का नाम	
		सड़क/ गली	
		कसबा/नगर/इलाका/गांव	
		ब्लॉक/ तालुका	
		जिला	
		राज्य	
		पिनकोड	
6.	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो		
7.	मोबाइल नंबर		
8.	ई-मेल का पता		
9.	अन्य पहचान पत्र,यदि कोई हो (वोटर आई०डी० नंबर/पासपोर्ट नंबर/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर/आधार नंबर/अन्य)		
10.	अस्थायी आई०डी०/रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख		
11.	अस्थायी आई०डी०		

12. बैंक खातों का विवरण[वैकल्पिक]

आवेदक द्वारा संचालित बैंक खातों की कुल संख्या (अधिकतम 10 बैंक खातों की सूचना दी जानी है।)	

बैंक खातों का विवरण

खाता संख्या															
खाते का प्रकार															
बैंक का नाम															
आई०एफ० एस०सी०															
शाखा का पता	स्वचालित रूप से भरा जाना (संपादन रीति)														

टिप्पणी– और बैंक खाते जोड़ें.

	हस्ताक्षर
स्थान	<<अधिकारी का नाम>>
तारीख:	<<पदनाम/अधिकारिता क्षेत्र>>
टिप्पणीं-आदेश की एक प्रति संबंधित केन्द्रीय/राज्य अधिकारिता क्षेत्र प्राधिकरण को भेजी जाएगी।	

आज्ञा से

Signed by
M Devaraj
Date: 17-04-2025 16:21:57

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।